## (द-3) औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पैकेज" -

औद्योगिक नीति 2024–29 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत "**स्टार्टअप पैकेज**" को निम्नानुसार होगा :–

**(द–3.1) परिभाषाएं :–**

**इस नीति के अंतर्गत** इकाई को औद्योगिक निवेश प्रौत्साहन पात्रता के लिए स्टार्टअप के रूप में मान्य करने के लिए निम्नांकित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा:–

**(द–3.1.1)** भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय के उद्यम संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी वैद्य स्टार्टअप प्रमाण पत्र धारित करता हो एवं कंडिका क्रमांक 1.2 में वर्णित सीमा में आती हो।

**(द–3.1.2)** निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में इकाई का कुल कारोबार विनिर्माण इकाई के प्रकरणों में 25 करोड़ एवं सेवा गतिविधि के प्रकरणों में 10 करोड़ रूपए से अधिक न हो।

**(द–3.1.3)** इकाई नवाचार/विद्यमान तकनीक में सुधार/विद्यमान प्रक्रियाओं का सरलीकरण का कार्य करती हो तथा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती हो।

**(द–3.1.4)** इकाई औद्योगिक नीति 2024–2029 के परिशिष्ट – 3 के अपात्र एवं परिशिष्ट – 5 कोर उद्यमों /सेवाओं की सूची में शामिल न हो।

**(द–3.1.5)** पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी इकाई को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

**(द–3.1.6)** कोई एकक/इकाई अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने पर "स्टार्ट अप" के रूप में नहीं माना जाएगा।

**(द–3.2) पात्रता की शर्तें :–**

**(द–3.2.1)** किसी नवाचार/विद्यमान तकनीक में सुधार/विद्यमान प्रक्रियाओं का सरलीकरण की किसी विशिष्ट परियोजना प्रतिवेदन को राज्य में स्टार्टअप मान्य किया जाता है, तो उसी प्रकार के अन्य आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक जिले में एक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

**(द–3.2.2)** स्टार्टअप हेतु प्राप्त समस्त आवेदनो को **राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति** के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा एवं समिति द्वारा अनुमोदित प्रकरणों में ही पैकेज का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

(द–3.2.3) औद्योगिक नीति 2024–29 में दिए गये प्रावधान अनुसार राज्य की स्टार्टअप इकाइयों को अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पोर्टल में दर्ज कर अभिस्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। स्टार्टअप इकाई उक्त अभिस्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

## (द–3.3) राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति –

### (द–3.3.1) संरचना –

| | | |
|---|---|---|
| 1– संचालक उद्योग | – | अध्यक्ष |
| 2– निदेशक एमएसएमई के प्रतिनिध (आवश्यकतानुसार) | – | सदस्य |
| 3– संयुक्त संचालक (वित्त) उद्यम संचालनालय | – | सदस्य |
| 4– संयुक्त संचालक, उद्यम संचालनालय | – | सदस्य सचिव |
| 5– चिप्स के प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार) | – | सदस्य |
| 6– दो विषय विशेषज्ञ (आवश्यकतानुसार) | – | सदस्य |

### (द–3.3.2) राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति के कार्य एवं दायित्व –

1– समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समिति द्वारा स्टार्टअप अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/विचार उपरांत स्टार्टअप मान्य किया जावेगा।

2– इन्क्यूबेशन सेंटर की प्रगति रिपोर्ट पर विचार कर सुझाव व निर्देश प्रदान करना।

3– स्टार्टअप्स को अनुदान की स्वीकृति प्रदान करना।

4– समिति, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के संबंध में अन्य निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे।

## (द–3.4) निवेश प्रोत्साहन :–

### (द–3.4.1) वित्तीय अनुदान –

**(द–3.4.1) कार्पस फंड –** राज्य में स्थापित होने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयों को बढ़ावा देने हेतु पृथक से राज्य शासन द्वारा राशि रू. 50 करोड़ के कार्पस फंड का निर्माण किया जावेगा। साथ ही सीएसआर के माध्यम से भी स्टार्टअप के विकास हेतु कार्पस फंड एकत्रित किया जायेगा। उक्त कार्पस फंड से स्टार्टअप्स इकाईयों को निम्नानुसार सहायता प्रदान किया जावेगा –

**(द–3.4.2)** स्टार्टअप इकाइयों को प्रारंभिक चरण में इन्क्यूबेशन सेंटर की अनुशंसा के आधार पर **सीड फंडिंग** के रूप में राशि रू. 05 लाख प्रदान किया जावेगा।

**(द–3.4.3)** उत्पादन/कार्य प्रारम्भ के 06 माह पश्चात **संचालन हेतु** राशि रू. 03 लाख की सहायता प्रदान की जावेगी।

**(द–3.4.4)** स्टार्टअप इकाईयों द्वारा उत्पादन/कार्य प्रारम्भ के 18 माह पश्चात **निरंतर संचालन एवं विकास हेतु** राशि रू. 3 लाख की सहायता प्रदान की जावेगी।

**(द–3.4.5) क्रेडिट रिस्क फंड –** राज्य में स्थापित होने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयों को बढ़ावा देने हेतु पृथक से राज्य शासन द्वारा राशि रू. 50 करोड़ के क्रेडिट रिस्क फंड का निर्माण किया जावेगा।

**(द–3.4.6) किराया अनुदान –** छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले वैध स्टार्टअप इकाइयों को, 03 वर्षों तक, किराए के भवन में स्टार्टअप इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रू. 10000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी।

**(द–3.4.7) इनक्यूबेशन हेतु किराया अनुदान** – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप इकाइयों को वैद्य रहने पर 03 वर्षों तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीड का किराया का भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा रू. 8/– प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, अधिकतम राशि रू. 10,000/-- प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी।

**(द–3.4.8) स्टाम्प शुल्क से छूट–**

(1) भूमि के क्रय/लीज पर **स्टाम्प शुल्क** से पूर्ण छूट।

(2) सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक **स्टाम्प शुल्क** से छूट।

**(द–3.4.9) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान –** मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख।

**(द–3.4.10) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान–** प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 80 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 06 लाख।

**(द–3.4.11) तकनीकी पेटेंट अनुदान–** पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

**(द–3.4.12) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान–** प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(द–3.5) स्टार्टअप पैकेज के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सुविधाओं के अतिरिक्त औद्योगिक विकास नीति 2024–29 में प्रावधानित अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतों की नियमानुसार पात्रता होगी।

(द–3.6) इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्टअप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से भारत शासन से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) को लाभ प्राप्त है तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे।

(द–3.7) राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से बंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी ।

**(ब) गैर वित्तीय सुविधाएं –**

(द–3.8) छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्टअप को प्रारंभिक वर्षो के लिये श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन (Self Certification) के आधार पर निम्नांकित नियमों में छूट प्रदान की जायेगी–

1. फैक्ट्री एक्ट, 1948
2. शॉप एंड स्टेबलिशमेंट एक्ट
3. ठेका श्रम (विनिमय एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

(द–3.9) स्टार्टअप इकाइयों को तीनों पालियों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें महिला कर्मचारी भी कार्य कर सकेंगी, किन्तु इस हेतु स्टार्टअप इकाइयों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

(द–3.10) प्रदेश में स्टार्टअप इकाइयों के चयन एवं विकास के लिए समय–समय पर स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किए जायेंगे, जिसमें नवागंतुक स्टार्टअप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो।

(द–3.11) प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्टअप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा।

(द–3.12) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति द्वारा मान्य

स्टार्टअप इकाई को अनुमोदन के पश्चात् सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त किया जावेगा, जिससे उन्हें राज्य शासन के अन्य विभागों से लगने वाली अनुमतियां एवं सम्मतियों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

## (द–3.13) इन्क्यूबेटर्स

(द–3.13.1) इस औद्योगिक नीति के समयावधि में राज्य में स्थापित होने वाले इन्क्यूबेटर्स को स्थापना हेतु किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख अनुदान प्रदान किया जावेगा।

(द–3.13.2) संभाग मुख्यालय में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु 5 वर्ष तक राशि रूपये 5 लाख प्रतिवर्ष एवं शेष जिलों में स्थापित इन्क्यूबेटर्स को अधिकतम राशि रूपये 3 लाख प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा।

## (द–3.14) इन्क्यूबेटर्स के दायित्व –

(द–3.14.1) संभाग मुख्यालय के प्रत्येक इन्क्यूबेटर्स को न्यूनतम 10 स्टार्टअप एवं जिले के इन्क्यूबेटर्स को न्यूनतम 05 स्टार्टअप इकाईयों को इन्क्यूबेट करना अनिवार्य होगा।

(द–3.14.2) संभाग मुख्यालय के प्रत्येक इन्क्यूबेटर्स को न्यूनतम 15 स्टार्टअप एवं शेष जिले के इन्क्यूबेटर्स को 10 स्टार्टअप के लिए बैठक व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

(द–3.14.3) प्रत्येक इन्क्यूबेटर्स को प्रति 6 माह में राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति को अपना प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

(द–3.14.4) इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप इकाइयों को प्रदान किये जाने वाले अनुदान/सुविधा हेतु अनुशंसा प्रदान किया जायेगा।

(द–3.14.5) किसी जिले विशेष में इन्क्यूबेशन सेंटर के अभाव में अन्य जिलों के इन्क्यूबेशन सेंटर द्वारा अन्य जिलों के स्टार्टअप इकाइयों को इन्क्यूबेट किया जा सकेगा।

**इस पैकेज के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान एवं छूट औद्योगिक विकास नीति 2024–29 के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लेखित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के अधीन नियमन किया जावेगा।**

---